कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ14( )2014/झालावाड़ रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं/844 दिनांकः 17/3/17

उप वन संरक्षक
झालावाड़।

विषयः—वनमण्डल झालावाड़ के अन्तर्गत विभिन्न सड़क निर्माण हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन के ऑनलाईन प्रकरणों में सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना में संशोधित दर से मांगपत्र जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके वनमण्डल के अन्तर्गत आने वाली निम्नलिखित 5 सड़क निर्माण के प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में पुरानी श्रमिक दर यानि रूपये 189/— प्रतिदिन के आधार पर मांगपत्र तैयार कर प्रयोक्ता विभाग (PWD) को प्रेषित किया गया है, जबकि राज्य सरकार के पत्रांक प. 1 (357) वन/1997—पार्ट दि. 13.1.2017 द्वारा संशोधित श्रमिक दर रूपये 201/— प्रतिदिन के आधार पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दरों में संशोधन किया गया है, जो कि निम्नानुसार हैः—

1. गैर वनभूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रूपये 1,55,000/— प्रति हैक्टर।
2. परिभ्रांषित वनभूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रूपये 1,29,000/— प्रति हैक्टर।

अतः आप द्वारा पूर्व में जारी मांगपत्र के स्थान पर उक्तानुसार संशोधित दर अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण. (शर्तानुसार वनभूमि/गैर वनभूमि जो भी लागू हो) हेतु संशोधित मांगपत्र तत्काल प्रयोक्ता विभाग (PWD) को प्रेषित करें।

यहां यह उल्लेखनीय है कि इन सड़क निर्माण प्रकरणों में राज्य सरकार के पत्रांक प. 4 (26) वन/08—पार्ट दि. 15.9.2016 द्वारा केम्पा मद में राशि जमा कराये जाने की स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में जारी की जानी है।

क.सं.	नाम सड़क	प्रस्ताव संख्याँ
1.	कन्स्ट्रक्शन ऑफ ए/आर टू सांवल्दा इन डिस्ट्रिक्ट झालावाड़	FP/RJ/ROAD/7609/2014
2.	कन्स्ट्रक्शन ऑफ एनएच—12 टू रोज्या इन डिस्ट्रिक्ट झालावाड़	FP/RJ/ROAD/7595/2014
3.	कन्स्ट्रक्शन ऑफ एनएच—12 किमी. 358/500 टू नयागांव भानपुरा	FP/RJ/ROAD/7759/2014
4.	कन्स्ट्रक्शन ऑफ बडोदिया टू जटामारी	FP/RJ/ROAD/7757/2014
5.	कन्स्ट्रक्शन ऑफ ए/आर टू मेरूखेड़ी	FP/RJ/ROAD/7534/2014

भवदीय,

(भरत तैमनी)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

.....PTO

उप वन संरक्षक झालावाड़ क्रमांक 1284 दिनांक 6-4-17

E/: Office documents/a